

प्रेषक,  
महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1-निदेशक माध्यमिक  
उत्तर प्रदेश।

2-निदेशक, बेसिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023-24/274

लखनऊ/दिनांक-30/05/2023

विषय:-"विश्व तम्बाकू निषेध" दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)-2003 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022", "We Need Food, Not Tobacco" थीम पर मनाया जाना है।

पुनः अवगत कराना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-2023 के उपलक्ष्य पर दिनांक 15 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक एक माह का जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों/युवाओं इत्यादि को जागरूक किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-2023 के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हुए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नलिखित गतिविधियों को सम्पन्न करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें-

- 1-आपके अधीनस्थ जनपद स्तरीय कार्यालयों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)-2003 के अर्न्तगत निहित धारा-4 एवं धारा-6 का अनुपालन करवाना।
- 2-आपके अधीनस्थ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/प्रतियोगिता अथवा अन्य कार्यशालाओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु चर्चा/बातचीत।
- 3-जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुककड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- 4-राज्य/जिला स्तरीय आयोजित होने वाली कार्यशाला/बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण किया जाना।
- 5-जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार।
- 6-प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार-प्रसार।
- 7-राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करना तथा उक्त की सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थापित जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित करवाना।
- 8-आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।

9-आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार।

10-भारत सरकार द्वारा प्रदत्त "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करवाते हुए समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना।

11-अन्य गतिविधियां।

भवदीय

(एन०के० गुप्ता)

निदेशक (स्वास्थ्य)

तददिनांक-

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023-24 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. अनुसचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. महाप्रबन्धक, रा०का०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
6. अधिशाषी निदेशक, यू०पी०वी०एच०ए०, लखनऊ

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी

(एन०टी०सी०पी०)

प्रेषक,  
महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,  
1-निदेशक माध्यमिक  
उत्तर प्रदेश।

2-निदेशक, बेसिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023-24 /

लखनऊ / दिनांक-30 / 05 / 2023

विषय:-“विश्व तम्बाकू निषेध” दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)-2003 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को “विश्व तम्बाकू निषेध दिवस” के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष “विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022”, “We Need Food, Not Tobacco” थीम पर मनाया जाना है।

पुनः अवगत कराना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-2023 के उपलक्ष्य पर दिनांक 15 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक एक माह का जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों/युवाओं इत्यादि को जागरूक किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-2023 के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हुए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नलिखित गतिविधियों को सम्पन्न करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें-

- 1-आपके अधीनस्थ जनपद स्तरीय कार्यालयों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)-2003 के अर्न्तगत निहित धारा-4 एवं धारा-6 का अनुपालन करवाना।
- 2-आपके अधीनस्थ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/प्रतियोगिता अथवा अन्य कार्यशालाओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु चर्चा/बातचीत।
- 3-जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुककड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- 4-राज्य/जिला स्तरीय आयोजित होने वाली कार्यशाला/बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण किया जाना।
- 5-जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार।
- 6-प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार-प्रसार।
- 7-राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करना तथा उक्त की सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थापित जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित करवाना।
- 8-आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।

9-आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार।

10-भारत सरकार द्वारा प्रदत्त "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करवाते हुए समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना।

11-अन्य गतिविधियां।

भवदीय

(एन0के0 गुप्ता)

निदेशक (स्वास्थ्य)

तद्दिनांक-

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023-24 / 275-80

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. अनुसचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महाप्रबन्धक, रा0का0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. अधिशाषी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी

(एन0टी0सी0पी0)